(वाद संख्या–3810/18)

03.09.2019

पुलिस अधीक्षक, अरवल द्वारा अपने पत्रांक–73/विविध, दिनांक–30.07.2019 के द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि आयोग के दिनांक–27.05.2019 के आदेश के आलोक में कलेर थाना कांड संख्या–10/18, दिनांक–21.03.2018 के मृतक बबन साव के दोनों पत्नियों, प्रेमशीला देवी और कर्मशीला देवी को दो–दो लाख रुपये (कुल–चार लाख रुपये) का अनुग्रह भुगतान किये जाने से संबंधित आदेश के आलोक में बिहार सरकार के गृह (आरक्षी शाखा) विभाग से पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा मार्गदर्शन की अपेक्ष की गयी है। पुलिस अधीक्षक, अरवल द्वारा आयोग के दिनांक–27.05.2019 के आदेश के आलोक में मृतक के मृत्यु से संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायिक जाँच–प्रतिवेदन तथा मृतक के मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन व आरोप–पत्र की प्रति दाखिल की गयी है। न्यायिक जाँच में मृतक बबन साव की मृत्यु को आत्महत्या माना गया है, जबकि अन्वेषणोपरान्त कलेर थाना कांड सं0–10/18, दिनांक–21.02.2018 में पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

दिनांक–27.05.2019 के आयोग के आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि बिना इस तथ्य पर विचार किये कि मृतक की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। केवल इस तथ्य के आधार पर कि मृतक को पुलिस थाने के हाजत में एक स्वभाविक मृत्यु हुई है तथा मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। आयोग द्वारा उसके दोनों पत्नियों को दो–दो लाख रुपये का मुआवजा आदेश के एक माह के अन्दर दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

आदेश पारित किये करीब तीन माह बीत चुका है तथा सरकारी औपचारिकता में अभीतक आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है। पुलिस अधीक्षक, अरवल को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक–07.01.2020 के पूर्व आयोग के दिनांक–27.05.2019 के आदेश का अनुपालन करते हुए मुआवजे की राशि का भुगतान स्व0 बबन साव की दोनों पत्नियों को करया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें।

आज पारित आदेश की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी शाखा) विभाग, बिहार सरकार को भी इस अनुरोध के साथ भेजी जाय कि आयोग के दिनांक–27.05.2019 के आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक